

स्वाति प्रियदर्शनी

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 9758/2024)

22 अगस्त 2024

[हिमा कोहली एवं अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति]

\

विचारार्थ प्रश्न

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2013, जिसमें अपीलकर्ता के कर्तव्य में लापरवाही के आधार पर सहायक परियोजना समन्वयक के रूप में उसका अनुबंध 31.03.2013 से आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि अपीलकर्ता का कार्य/प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया था।

शीर्ष टिप्पणियाँ

सेवा कानून - अनुबंध के आधार पर सेवा - अनुबंध का विस्तार न करना - अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत सहायक परियोजना समन्वयक (एपीसी) के पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था - दिनांक 30.03.2013 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 ने अपीलकर्ता के अनुबंध को विस्तारित न करने का निर्णय लिया - अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि दिनांक 30.03.2013 का आदेश कलंकात्मक प्रकृति का था और उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता था - उच्च न्यायालय की एकलपीठ न्यायाधीश ने दिनांक 30.03.2013 के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि सेवा समाप्ति के आदेश कलंकात्मक प्रकृति के थे, जो नैतिक पतन से जुड़े कथित कदाचार से संबंधित थे, उन्हें नियमित जांच किए बिना पारित नहीं किया जा सकता था - हालांकि, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रतिवादियों के पक्ष में निर्णय दिया - शुद्धता:

अवधारण: इस तरह सेवा करते समय, उनके खिलाफ शिकायत(एँ) संक्षेप में, यह थी कि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही थीं, मुख्य रूप से दो मामलों में - (i) कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु समयनिष्ठ नहीं थी और; (ii) छात्रावास में हुई घटनाओं के संबंध में सही ढंग से रिपोर्ट नहीं की

गई - छात्रावास के संबंध में रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसे केवल 5/6 दिनों के लिए प्रभार दिया गया था - इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि इतनी कम अवधि के भीतर, अपीलकर्ता, परिचारिका के मुद्दों को पूरी तरह से समझे बिना, छात्रावास पर कोई राय / रिपोर्ट दे सकती थी - आरजीपीएसएम की सामान्य सेवा के खंड 4 शर्तें निर्धारित करती हैं कि आमतौर पर, अकुशलता के लिए, एक महीने का नोटिस पर्याप्त है - खंड यह भी स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति "अवांछनीय गतिविधियों" में लिप्त पाया जाता है, तो मिशन निदेशक ऐसे व्यक्ति की सेवाओं को "तत्काल प्रभाव से" समाप्त करने के लिए सक्षम था - प्रतिवादियों ने खुद को एक 'कैच-22' स्थिति में डाल दिया है - यदि 30.03.2013 का आदेश जैसा कि प्रतिवादी द्वारा तर्क दिया गया, खंड 4 के पूर्व भाग के अंतर्गत आता है, इस आधार पर कि यह सरलता से बर्खास्तगी का मामला है और कलंकित नहीं है, तो अपीलकर्ता को एक महीने का नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, जो कि इस मामले में नहीं किया गया था - तर्कानुसार, यदि 30.03.2013 के आदेश को धारा 4 के उत्तरार्द्ध भाग के अंतर्गत आते हुए देखा जाए, तो यह लांछनास्पद होगा, जैसा कि "मिशन की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त" शब्दों के उपयोग से स्पष्ट होता है - पुरुषोत्तम लाल ढींगरा मामले में निर्धारित कथन के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों ने धारा 4 का अनुपालन नहीं किया - या तो उसका पहला भाग या दूसरा भाग - 30.03.2013 का आदेश अपीलकर्ता के लिए दुष्परिणामों की ओर ले जाता है और उसके आगे के रोजगार के लिए बाधा उत्पन्न करेगा - इसलिए, आरोपित निर्णय को खारिज किया जाकर अपास्त किया जाता है। [पैरा 30, 32, 36]

सेवा कानून - अनुबंध का विस्तार न करना - आदेश में पृष्ठभूमि या कारण बताओ नोटिस (एससीएन) का उल्लेख न करना:

अवधारण: 30.03.2013 के आदेश में पार्श्वभौमिक स्थिति का या एससीएन का उल्लेख न करना, अपने आप में, आदेश को निश्चयक नहीं बनाता है - यह तय है कि आदेश का स्वरूप उसका अंतिम निश्चयक नहीं है और न्यायालय किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति / हटाने के पीछे वास्तविक कारण और वास्तविक प्रकृति का पता लगा सकता है - वर्तमान मामले में, आरोपित निर्णय आरजीपीएसएम की सामान्य सेवा शर्तों के खंड 4 से सम्बन्ध नहीं रखता। [पैरा 33]

उद्धृत केस लॉ

पुरुषोत्तम लाल ढींगरा बनाम भारत संघ [1958] 1 एससीआर 828: (1957) एससीसी ऑनलाइन एससी 5 - अनुसरित ।

अनूप जायसवाल बनाम भारत सरकार [1984] 2 एससीआर 453: (1984) 2 एससीसी 369; गुजरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड बनाम मजदूर सभा [1980] 2 एससीआर 146: (1980) 2 एससीसी 593; भारतीय स्टेट बैंक बनाम पलक मोदी [2012] 12 एससीआर 628: (2013) 3 एससीसी 607; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम बचन त्रिपाठी [2005] अनुपूरक 1 एससीआर 924: (2005) 6 एससीसी 496; राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम झारखंड राज्य [2011] 3 एससीआर 823 : (2011) 4 एससीसी 447; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम चंद्र त्रिवेदी [1977] 1 एससीआर 462 : (1976) 4 एससीसी 52; चंद्र प्रकाश शाही बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2000] 3 एससीआर 529 : (2000) 5 एससीसी 152; समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य [1975] 1 एससीआर 814 : (1974) 2 एससीसी 831 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के नियम; भारत का संविधान।

संकेतात्मक शब्दों की सूची

सेवा कानून; अनुबंध के आधार पर सेवा; अनुबंध का अविस्तार; आदेश में पार्श्वभौमिक स्थिति का उल्लेख न होना; सेवा समाप्ति आदेश; सेवा से निष्कासन; आदेश का वास्तविक स्वरूप।

प्रकरणोत्पत्ति

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 9758/2024, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर के प्रकरण रिट अपील क्रमांक 956/2017 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.02.2020 से उद्धृत ।

पक्षकारों की उपस्थिति

प्रशांत भूषण, अपीलकर्ता के अभिभाषक ।

नचिकेता जोशी, ए.ए.जी., पशुपति नाथ राजदान, निर्मल कुमार अंबस्था, मिर्जा कायेश बेग, सुश्री मैत्रेयी जगत जोशी, आस्तिक गुप्ता, सुश्री आकांक्षा तोमर, अर्घा रॉय, सुश्री ओजस्विनी गुप्ता, सुश्री रूबी, प्रतिवादियों के अभिभाषकगण ।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री अहसानुद्दीन अमानुल्लाह

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. हम अनुमति देने के पक्ष में हैं, अतः अनुमतित ।

3. वर्तमान अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (जिसे आगे "उच्च न्यायालय" कहा जाएगा) द्वारा रिट अपील संख्या 956/2017 में युगलपीठ द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 03.02.2020 (जिसे आगे "आलोच्य निर्णय" कहा जाएगा) के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत उसने रिट याचिका संख्या 8404/2013 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 20.06.2017 के निर्णय को खारिज कर दिया था।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स:

4. 15.10.2012 को, अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा सर्व शिक्षा अभियान (जिसे आगे "एसएसए" कहा जाएगा) के अंतर्गत सहायक परियोजना समन्वयक (जिसे आगे "एपीसी" कहा जाएगा) के पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था, प्रारम्भ में एक शैक्षणिक सत्र (1 वर्ष) के लिए पश्चात् "पहले वर्ष में काम के मूल्यांकन के अधीन" जो बाद के वर्षों में दो साल के लिए नवीनीकृत किये जाने योग्य है।

5. अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसे सीडब्ल्यूएसएन ("विशेष आवश्यकता वाले बच्चों" हेतु संक्षिप्त नाम) गर्ल्स हॉस्टल, सीहोर (जिसे एतदपश्चात् "हॉस्टल" कहा जाएगा) में कथित दुराचार और अनैतिक गतिविधि के बारे में कुछ जानकारी मिली थी, जिसे ब्राइट स्टार सोशल सोसाइटी जो एक गैर-सरकारी संगठन है (जिसे एतदपश्चात् "ब्राइट स्टार" कहा जाएगा) के द्वारा चलाया जाता है। राज्य स्तरीय समिति ने अपीलकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर छात्रावास पर छापा मारा। राज्य स्तरीय समिति ने अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को सही पाया, जिसके परिणामस्वरूप ब्राइट स्टार के साथ छात्रावास चलाने के लिए निष्पादित सहमति पत्र को 08.01.2013 से समाप्त कर दिया गया।

6. दिनांक 09.01.2013 को अपीलकर्ता को छात्रावास का प्रभारी बनाया गया। दिनांक 10.01.2013 को अनुविभागीय अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, सीहोर द्वारा जिला समन्वयक, राज्य शिक्षा केंद्र, सीहोर को आदेश जारी किया गया कि वार्डन के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए जिनके पर्यवेक्षण में छात्रावास में कथित अपराध कारित किये जा रहे थे ।

7. दिनांक 14.01.2013 के आदेश द्वारा, प्रभार सौंपे जाने के 5/6 दिन बाद अपीलकर्ता से छात्रावास का प्रभार वापस ले लिया गया। अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जारी एक कारण बताओ नोटिस (जिसे आगे "एससीएन" के रूप में संक्षिप्त किया गया है) प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है:¹

"उपरोक्त विषय के अंतर्गत जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र, सीहोर द्वारा उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया गया। उपस्थिति रजिस्टर में मेरे द्वारा दिनांक 4 एवं 5 जनवरी, 2013 को अनुपस्थिति अंकित की गई।"

आपके द्वारा उपस्थिति रजिस्टर में उक्त तिथियों में हस्ताक्षर किये गये थे तथा दिनांक 14.02.13 को 12:00 बजे कार्यालय में आना आपके द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही तथा अधिकारी के आदेशों का उल्लंघन है।"

उपरोक्त के अनुसार, अपीलकर्ता ने 16.02.2013 को जवाब दिया कि उपस्थिति रजिस्टर पर उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 14.02.2013 को उनकी बेटी के भोपाल से आने के कारण, वह उक्त तिथि को देरी से पहुंची। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि जब भी वह काम पर देर से आती है, तो वह शाम 7-8 बजे तक कार्यालय में देर तक रहती है और सारा काम पूरा करती है।

8. दिनांक 15.03.2013 को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपीलकर्ता को निम्नलिखित आरोपों के साथ एक और एस.सी.एन. जारी किया गया:

"i. आरुषि संस्था के माध्यम से अनेक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु दिव्यांग बालक/बालिकाओं का चिन्हांकन एवं सामाजिक न्याय द्वारा तैयार की गई निर्दिष्ट सूची का सत्यापन आपके द्वारा किया जाना था, किन्तु आपके द्वारा चिन्हांकन एवं सत्यापन नहीं किया गया।

ii. आरुषि संस्था में स्वयंसेवक एवं एम.आर.सी. की नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलित है। आपको उसमें जिला शिक्षा केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में भी नामित किया गया है, किन्तु आपके असहयोगात्मक, अवरोधात्मक एवं लापरवाहीपूर्ण रवैये के कारण उक्त पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिसके कारण शिक्षण सहित अन्य गतिविधियां प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही हैं।

1 सुविधा के लिए अंग्रेजी अनुवाद का उपयोग किया गया है। मूल एस.सी.एन. हिंदी में जारी किया गया था।

iii. जब सीडब्ल्यूएसएन छात्रावास की निगरानी की गयी इस बाबत कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई तथा पश्चात् क्या सुधार किए गए ।

iv. छात्रावास में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है तथा आप एक जिम्मेदार पद पर पदस्थ हैं, अतः आपका यह कर्तव्य है कि छात्रावास में अवांछित व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाएं, लेकिन इस बारे में बताना तो दूर की बात है, आपने स्वयं बाहरी व्यक्तियों की भीड़ के साथ छात्रावास में प्रवेश करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपने छात्रावास में अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव डाला है। अपने पदीय कर्तव्यों से परे जाकर किया गया कार्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

आपका मुख्यालय सीहोर में स्थित है, लेकिन आप मुख्यालय पर नहीं रहते हैं और प्रतिदिन भोपाल से आते हैं ।

vi. आप कार्यालय में सही समय पर नहीं आते हैं और देर से आने के बावजूद आपने उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। यह आपकी अनुशासनहीनता है।

9. अपीलकर्ता ने 20.03.2013 को दिए गए अपने अभ्यावेदन में कहा कि उसे ए.पी.सी. के पद से हटाने के लिए सभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उसने कहा कि छोटी-छोटी बातों के लिए भी उसे कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उसने आरोप लगाया कि अन्य अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया और छात्रावास के बारे में शिकायत करने पर उसे परेशान किया जा रहा था।

10. अपीलकर्ता ने 15.03.2013 की तारीख वाले एससीएन का 22.03.2013 को जवाब दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि अधिकारियों द्वारा उसे असहयोग और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उसने आगे आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों को नकारात्मक प्रतिपुष्टि देकर उसकी प्रतिष्ठा खराब की जा रही थी।

11. प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 30.03.2013 को आदेश पारित किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता के कार्य/प्रदर्शन को असंतोषजनक पाए जाने के कारण कर्तव्यच्युति के आधार पर अपीलकर्ता के अनुबंध को 31.03.2013 से आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। अपीलकर्ता द्वारा पेपर-बुक के साथ संलग्न इस आदेश का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है:

"उपर्युक्त विषय वस्तु के अन्तर्गत एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दिनांक 30.03.2013 को जिला नियुक्ति समिति की बैठक में विचार एवं निर्धारण के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आपका कार्य संतोषजनक नहीं है, जिसके फलस्वरूप शिक्षा सत्र के अन्त दिनांक 31.03.2013 से आपकी संविदा सेवा में वृद्धि न की जाये। उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 31.03.2013 से आपकी संविदा सेवा में भी वृद्धि नहीं की जाती है।"

12. व्यथित होकर, अपीलकर्ता/मूल रिट याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (जिसे आगे "संविधान" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 8404/2013, 30.03.2013 के आदेश के विरुद्ध दायर की, जिसमें उसकी सेवाओं को नवीनीकृत/विस्तारित करने से इनकार कर दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 20.06.2017 को इस रिट याचिका को स्वीकार किया और 30.03.2013 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि बर्खास्तगी के आदेश प्रकृति में लांछनास्पद हैं, जो नैतिक पतन को शामिल करते हुए कथित कदाचार से संबंधित हैं, उन्हें नियमित जांच किए बिना पारित नहीं किया जा सकता था।

13. विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 20.06.2017 के निर्णय से व्यथित होकर, आधिकारिक प्रतिवादियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (खंड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2005 की धारा 2 के तहत डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील संख्या 956/2017 दायर की, जिसे 03.02.2020 को स्वीकार किया गया, और अब इसे अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई है।

अपीलकर्ता की दलीलें:

14. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण ने कहा कि 30.03.2013 का आदेश स्पष्ट रूप से लांछनास्पद प्रकृति का था और इसलिए उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता था। यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से ऐसा माना है, और डिवीजन बेंच ने केवल 30.03.2013 के आदेश की इबारत के आधार पर गलत तरीके से यह माना है कि यह "सरल" था।

15. यह तर्क दिया गया कि नियमों के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा का न्यूनतम कार्यकाल प्रथम चरण में कम से कम एक वर्ष और उसके बाद दो-दो वर्ष होगा, जो पहले वर्ष के कार्य के मूल्यांकन के अधीन होगा जबकि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने केवल 5 महीने और 15 दिन ही काम किया था। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता के कार्यकाल में कटौती राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन² (जिसे आगे "आरजीपीएसएम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है, जो यह प्रावधान करता है कि अनुबंध पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए, एक महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए, यदि उनका कार्यकाल अकुशलता के आधार पर कम किया जाना है। इससे बढ़कर यह भी कि, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी दिनांक 09.03.2012 और 13.03.2012 के आदेशों से भी बंधे हुए हैं, जो स्पष्ट रूप से प्रावधान करते हैं कि एसएसए में संविदा कर्मचारियों की

2 सर्व शिक्षा अभियान का पूर्व नाम

सेवाओं को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का अवसर दिए बिना अकुशलता के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है।

16. विद्वान वकील ने सुस्पष्ट किया कि डिवीजन बेंच इस बात पर भी विचार करने में विफल रही कि अपीलकर्ता, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 द्वारा की गई दुर्भावनापूर्ण जवाबी कार्रवाई का शिकार थी, क्योंकि यह वह थी जिसने राज्य के तत्वावधान में ब्राइट स्टार द्वारा संचालित छात्रावास में किए जा रहे दुष्कृत्यों को अधिकारियों के ध्यान में लाया था, जिसे प्रतिवादियों द्वारा दबाने की कोशिश की गई थी।

17. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि सबसे ज्वलंत तथ्य यह है कि अपीलकर्ता को 09.01.2013 को छात्रावास का प्रभार सौंपा गया था, जिसे 14.01.2013 को बिना कोई कारण/आधार बताए निरस्त कर दिया गया। विद्वान वकील ने कहा कि इससे पता चलता है कि प्रतिवादीगण द्वारा उसे हटाने के लिए पूर्व निर्णीत कारण बना लिया था और उन 5/6 दिनों के दौरान कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी, जिसके कारण अपीलकर्ता के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई को उचित ठहराया जा सके।

18. इसके अलावा, विद्वान वकील का रुख यह था कि आरजीपीएसएम के तहत, एपीसी के पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी राज्य स्तरीय नियुक्ति प्राधिकारी है, जबकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 311 (2)³ के उल्लंघन में जिला स्तरीय समिति द्वारा हटा दिया गया था।

19. अपने तर्कों के समर्थन में श्री भूषण ने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया:

1. अनूप जायसवाल बनाम भारत सरकार, (1984) 2 एससीसी 369
2. गुजरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड बनाम मजदूर सभा, (1980) 2 एससीसी 593
3. भारतीय स्टेट बैंक बनाम पलक मोदी, (2013) 3 एससीसी 607

उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियाँ:

20. इसके विपरीत, प्रतिवादियों - मध्य प्रदेश राज्य और उसके पदाधिकारियों - के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री नचिकेता जोशी ने विवादित निर्णय के समर्थन में दलील दी कि डिवीजन बेंच ने यह उचित माना है कि प्राधिकरण यह निर्धारित करने हेतु सक्षम है कि निरंतरता का दावा करने वाले व्यक्ति की सेवा संतोषजनक थी या नहीं। अपने कथन को प्रस्थापित करने हेतु उत्तर

3 311. संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों की बर्खास्तगी, हटाया जाना या पद में अवनति-

XXXXX

(2) किसी भी व्यक्ति को, जांच के पश्चात् ही बर्खास्त किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा या पद में अवनत नहीं किया जाएगा, जिसमें उसे उसके विरुद्ध आरोपों की जानकारी दे दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो।"

XXXXX

प्रदेश राज्य बनाम राम बचन त्रिपाठी, (2005) 6 एससीसी 496 और राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम झारखंड राज्य, (2011) 4 एससीसी 447 पेश किया गया।

21. यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 30.03.2013 का आदेश बिना किसी कलंक के एक सरल आदेश था, जो मूल रूप से अपीलकर्ता की संविदात्मक सेवाओं के विस्तार न करने का आदेश था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसमें किसी प्रकार के प्रतिकूल परिणाम सन्निहित नहीं हैं और न ही यह किसी कदाचार पर आधारित है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है, इसलिए उसे सेवा का कोई अधिकार नहीं है।

22. सेवा की शर्तों के अनुसार, यह बताया गया कि उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी प्रकृति की होगी और अनुबंध में निर्धारित संविदात्मक शर्तों के अधीन होगी। यह प्रस्तुत किया गया कि 15.10.2012 के नियुक्ति पत्र में भी "सेवा शर्तों" के तहत कहा गया है कि:

"1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा मिशन की संविदा शर्तों के अधीन होगी।

2. यदि कार्य सन्तोषजनक न पाया जाए अथवा पद अपेक्षित न हो तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।"

23. उपर्युक्त प्रकाश में, यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को उसके कर्तव्य का पालन न करने के लिए स्पष्टीकरण मांगने के लिए एससीएन जारी किए जाने के बावजूद, उसकी ओर से कोई सुधार नहीं हुआ और चूंकि उसका काम असंतोषजनक पाया गया, इसलिए अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाया गया। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान वकील ने निम्नलिखित पर भी भरोसा किया:

1. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम चंद्र त्रिवेदी, (1976) 4 एससीसी 52

2. चंद्र प्रकाश शाही बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2000) 5 एससीसी 152

24. यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता को काम से अनुपस्थित रहने की आदत थी और न तो उसने विशेष रूप से सक्षम लड़के/लड़कियों के नामों को चिह्नित करने का अपना कर्तव्य निभाया और न ही आरुषि संस्थाओं के माध्यम से कई गतिविधियों के निष्पादन के लिए सामाजिक न्याय विभाग द्वारा तैयार की गई निर्दिष्ट सूची का सत्यापन किया। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि आरुषि संस्थानों में स्वयंसेवकों और एमआरसी की नियुक्ति के लिए गठित समिति में, अपीलकर्ता को जिला शिक्षा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके असहयोगी, अवरोधक और लापरवाह रवैये के कारण, ऐसी नियुक्तियां नहीं की गईं, जिससे शिक्षा सहित अन्य गतिविधियां प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुईं।

25. इसके अलावा, यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता ने छात्रावास पर रिपोर्ट तब प्रस्तुत नहीं की जब यह उसकी निगरानी में था और उसने यह भी नहीं बताया कि कोई सुधार हुआ है या नहीं और यदि हुआ है, तो उसका विवरण और उठाए गए कदम क्या हैं। यह भी कहा गया कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता को पहले कुछ प्रशंसा पत्र जारी किए गए थे, उसके पिछले आचरण के आधार पर भविष्य में असंतोषजनक आचरण को नहीं बचाया जा सकता।

26. विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि शुरू में अपीलकर्ता को 09.12.2011 को जारी अनंतिम मेरिट सूची में क्रमांक 5 पर रखा गया था, जो कि एपीसी के पद के लिए उसके आवेदन के साथ उचित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण था। बाद में, जब अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, तो 12.09.2012 को मेरिट सूची को संशोधित और सुधारा गया, जिसके बाद उसे क्रमांक 1 पर रखा गया।

27. प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के खिलाफ अपीलकर्ता के आरोपों के अनुसार कि वे धीरज सिंह धाकड़ की नियुक्ति के लिए इच्छुक थे, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अनंतिम मेरिट सूची में, वह अपीलकर्ता से नीचे था, जो कि ऐसा नहीं होता अगर उसे तरजीह दी जाती। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अगर अपीलकर्ता के प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा होता, तो प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने उसके अनुभव का समाप्त हो चुका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया होता, लेकिन उन्होंने उसे उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय देना चुना, जो यह प्रदर्शित करता है कि उक्त प्रतिवादियों ने उसके खिलाफ कोई पक्षपात नहीं किया।

28. विद्वान अधिवक्ता ने यह कहते हुए अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय सुविचारित था तथा संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

विश्लेषण, तर्क और निष्कर्ष:

29. इस प्रकरण पर गहन विचार करने के पश्चात, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 20.06.2017 के निर्णय में डिवीजन बेंच के हस्तक्षेप को निषेधित किया जाना चाहिए।

30. एक नज़र डालने पर यह पता चलता है कि अपीलकर्ता संशोधित मेरिट सूची में शीर्ष पर थी, जिसके कारण उसे एपीसी के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर काम करते समय, उसके खिलाफ शिकायतें संक्षेप में यह थीं कि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही थी, मुख्य रूप से दो मामलों में - (i) अपने कर्तव्यों का समय पर पालन नहीं करना, और; (ii) छात्रावास में होने वाली घटनाओं के बारे में सही ढंग से रिपोर्ट नहीं करना। अपीलकर्ता ने कारण बताओ नोटिस के जवाबों के माध्यम से इन शिकायतों का जवाब दिया कि वह, अन्य बातों के साथ-साथ, कभी-कभी देर से आने की बात स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है, लेकिन अपने देर से आने की भरपाई के लिए, वह काम पूरा करने के लिए देर शाम तक कार्यालय में बैठती थी। इस मामले में प्रतिवादियों को

दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अपीलकर्ता के इस कथन में कोई औचित्य नहीं है कि वह देर से आई थी, लेकिन उसने देर तक /ओवरटाइम काम किया ताकि काम प्रभावित न हो। हालाँकि, जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है, छात्रावास के संबंध में, उसे केवल 5/6 दिनों के लिए प्रभार दिया गया था। इस प्रकार, हमारे विचार में, यह नहीं कहा जा सकता है कि इतने कम समय के भीतर, अपीलकर्ता, परिचारिक मुद्दों को पूरी तरह से समझे बिना, छात्रावास पर सीधे-सीधे कोई राय/रिपोर्ट दे सकती थी। अस्तु, यह प्रकरण हमारे निर्णय हेतु प्राप्त हुआ है, जो अधोलिखित है :

31. आरजीपीएसएम की सामान्य सेवा शर्तों के खंड 4 में "त्यागपत्र/सेवा समाप्ति" शीर्षक के अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान है: "अनुबंध पर काम करने वाले व्यक्तियों को अकुशल पाए जाने पर एक महीने के नोटिस पर सेवा समाप्त की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति मिशन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो मिशन निदेशक को उसे तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।"

(प्रमुखता से बताया गया)

32. धारा 4 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सामान्यतः अकुशलता के लिए एक महीने का नोटिस पर्याप्त होता है। धारा यह भी स्पष्ट करती है कि यदि कोई व्यक्ति "अवांछनीय गतिविधियों" में लिप्त पाया जाता है, तो मिशन निदेशक ऐसे व्यक्ति की सेवाओं को "तत्काल प्रभाव से" समाप्त करने के लिए सक्षम है। हमें कहना पड़ेगा कि प्रतिवादियों ने खुद को एक उभयसंकट (CATCH-22)⁴ में डाल लिया है। यदि दिनांक 30.03.2013 का आदेश खंड 4 के पूर्व भाग के अंतर्गत आता है, जैसा कि प्रतिवादी ने तर्क दिया है, इस आधार पर कि यह सरलता से बर्खास्तगी का मामला है और कलंकित नहीं है, तो अपीलकर्ता को एक महीने का नोटिस जारी किया जाना आवश्यक था, जो कि इस मामले में नहीं किया गया। तर्क देते हुए, यदि दिनांक 30.03.2013 के आदेश को खंड 4 के उत्तरार्द्ध भाग के अंतर्गत आते हुए देखा जाए, तो यह कलंकित होगा, जैसा कि "मिशन की गरिमा को कम करने वाली अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त" शब्दों के उपयोग से स्पष्ट होता है।

33. उपर्युक्त दोनों ही स्थितियों में, विवादित निर्णय को अनिवार्य रूप से रद्द करना होगा। फिर भी, आइए हम खंडपीठ के तर्क की जांच करें, जिसने कहा कि यह आदेश गैर-कलंककारी है और सरल शब्दों में अनुबंध का नवीनीकरण न करने वाला है। 30.03.2013 का आदेश, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, दो एससीएन द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया की परिणति था, जिसे खंडपीठ ने अनदेखा कर दिया है।

4 बोलचाल की भाषा में, जब कोई व्यक्ति दो विरोधाभासी स्थितियों के कारण दुविधा में पड़ जाता है। यह वाक्यांश जोसेफ हेलर के इसी नाम के उपन्यास से लोकप्रिय हुआ, जो पहली बार 1961 में प्रकाशित हुआ था।

30.03.2013 के आदेश में, पृष्ठभूमि की स्थिति या एससीएन का उल्लेख न करना, स्वयमेव ही आदेश को निर्धारक नहीं बनाता है।

जैसा कि इस न्यायालय ने समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1974) 2 एससीसी 831⁵ और अनूप जैसवाल बनाम भारत सरकार, (1984)⁶ एससीसी में कहा है, किसी आदेश का स्वरूप उसका अंतिम निर्धारक नहीं होता है और न्यायालय किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने/हटाने के पीछे वास्तविक कारण और वास्तविक प्रकृति का पता लगा सकता है। इसके अलावा, विवादित निर्णय भी खंड 4 से संबंधित नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि यह खंड विद्वान एकल न्यायाधीश के ध्यान से भी बच गया या/और उनके संज्ञान में नहीं लाया गया।

34. इस न्यायालय के पांच विद्वान न्यायाधीशों द्वारा पुरुषोत्तम लाल ढींगरा बनाम भारत संघ, 1957 एससीसी ऑनलाइन एससी 5 में निर्धारित निर्णय का संदर्भ लेना लाभदायक है:

"28. इसलिए, स्थिति को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है: सेवा की कोई भी और प्रत्येक समाप्ति- बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी नहीं है। संविदात्मक अधिकार के प्रयोग द्वारा की गई सेवा की समाप्ति अपने आप में बर्खास्तगी या निष्कासन नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय ने सतीश चंद्र आनंद बनाम भारत संघ [(1953) 1 एससीसी 420: (1953) एससीआर 655] में माना है। इसी तरह सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले एक विशिष्ट नियम के संदर्भ में अनिवार्य सेवानिवृत्ति द्वारा सेवा की समाप्ति सजा देने के समान नहीं है और यह अनुच्छेद 311 (2) को आकर्षित नहीं करती है, जैसा कि इस न्यायालय ने श्याम लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1955) 1 एससीआर 26] में भी माना है। उपर्युक्त दोनों मामलों में से किसी में भी सेवा समाप्ति के साथ मौलिक नियमों के नियम 52 के तहत वेतन या भत्ते की हानि के दंडात्मक परिणाम नहीं जुड़े। यह सच है कि कदाचार, लापरवाही, अकुशलता या अन्य अयोग्यता वह प्रेरक कारक हो सकता है जो सरकार को रोजगार अनुबंध या विशिष्ट सेवा नियम की शर्तों के तहत कार्रवाई करने के लिए प्रभावित करता है, फिर भी, यदि अनुबंध या नियमों के तहत सेवा समाप्त करने का अधिकार

5 80. आदेश का स्वरूप इस बात के लिए निर्णायक नहीं है कि आदेश दंड के रूप में है या नहीं। सेवा समाप्त करने वाला एक निर्दोष शब्दों वाला आदेश भी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह स्थापित कर सकता है कि अनुच्छेद 311 के प्रावधान के उल्लंघन में कलंक से जुड़े गंभीर और गंभीर प्रकृति के कदाचार के आरोपों की जांच की गई है।"

6 "12. इसलिए, अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि जहां आदेश का प्रारूप कदाचार के लिए बर्खास्तगी के आदेश के लिए मात्र एक छद्म आवरण है, वहां वह न्यायालय जिसके समक्ष आदेश को चुनौती दी गई है, उसके लिए प्रारूप के पीछे जाकर आदेश के वास्तविक स्वरूप का पता लगाना हमेशा खुला रहता है। यदि न्यायालय यह मानता है कि आदेश, हालांकि प्रारूप में मात्र रोजगार का निर्धारण है, वास्तव में दंड के आदेश के लिए एक आवरण है, तो न्यायालय को, केवल आदेश के प्रारूप के कारण, कर्मचारी को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रभावी करने से वंचित नहीं किया जाएगा।"

मौजूद है, तब सरकार के मस्तिष्क में चल रहा प्रयोजन पूर्णतः अप्रासंगिक है, जैसा कि श्री चागला,मु. न्याय. ने श्रीनिवास गणेश बनाम भारत संघ [एलआर 58 बॉम 673: एआईआर (1956) बॉम 455] में कहा है। संक्षेप में, यदि सेवा समाप्ति अनुबंध या सेवा नियमों से प्राप्त अधिकार पर आधारित है, तो प्रथम दृष्टया, समाप्ति कोई दंड नहीं है और इसके कोई दुष्परिणाम नहीं हैं और इसलिए अनुच्छेद 311 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते। यद्यपि, सरकार के पास अनुबंध या नियमों के तहत, बर्खास्तगी या हटाने या रैंक में कमी की सजा देने के लिए निर्धारित प्रक्रिया से गुजरे बिना रोजगार को समाप्त करने का अधिकार मौजूद है, फिर भी सरकार कर्मचारी को दंडित करने का विकल्प चुन सकती है और यदि यह सेवा समाप्ति कदाचार, लापरवाही, अकुशलता या अन्य अयोग्यता पर आधारित है, तो यह एक दंड है और अनुच्छेद 311 की अपेक्षाओं का पालन किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि अगर सेवक को पद पर बने रहने का अधिकार है, तो जब तक कि रोजगार अनुबंध या नियम इसके विपरीत न हों, उसकी सेवाओं को कदाचार, लापरवाही, अकुशलता या अन्य अच्छे और पर्याप्त कारण के अलावा किसी और कारण से समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे आधारों पर ऐसे सेवक की सेवा समाप्त करना एक सजा होनी चाहिए और इसलिए अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्तगी या निष्कासन माना जाना चाहिए, क्योंकि यह उसके अधिकार को समपहरण करने के रूप में कार्य करता है और उसे वेतन और भत्ते के नुकसान के बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। यह अधिकारी पर एक अमिट कलंक लगाता है जो उसके भविष्य के कैरियर को प्रभावित करता है।

इसी तरह पद में कमी दंड के रूप में हो सकती है या यह एक हानिरहित बात हो सकती है। अगर सरकारी कर्मचारी को किसी खास पद पर अधिकार है, तो उस पद से कटौती दंड के रूप में काम करेगी, क्योंकि तब वह उस पद के लाभों और विशेषाधिकारों को खो देगा। हालाँकि, अगर उसे किसी खास पद पर कोई अधिकार नहीं है, तो उसे एक उच्च पद से उसके वास्तविक निचले पद पर कम करना आम तौर पर दंड नहीं होगा। लेकिन केवल इस तथ्य से कि सेवक के पास पद या रैंक का कोई अधिकार नहीं है और सरकार को अनुबंध द्वारा, व्यक्ति या निहित, या नियमों के तहत, उसे निचले पद पर पदावनत करने का अधिकार है, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी सेवक को निचले पद या रैंक पर पदावनत करने का आदेश किसी भी परिस्थिति में सजा नहीं हो सकता। यह निर्धारित करने के लिए कि ऐसे मामलों में पदावनति सजा के रूप में है या नहीं, असली परीक्षा यह पता लगाना है कि पदावनति के आदेश से सेवक को कोई दंडात्मक परिणाम भी मिलता है या नहीं।

इस प्रकार यदि आदेश में उसके वेतन या भत्ते जब्त करने या उसके मूल पद में उसकी वरिष्ठता समाप्त करने या उसके पदोन्नति के भावी अवसरों को रोकने या स्थगित करने का प्रावधान है, तो वह परिस्थिति यह संकेत दे सकती है कि यद्यपि सरकार ने औपचारिक रूप से रोजगार समाप्त

करने या रोजगार अनुबंध की शर्तों या नियमों के तहत सेवक को निम्न पद पर पदावनत करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने का दावा किया था, लेकिन वास्तव में सरकार ने दंड के रूप में रोजगार समाप्त किया है।

"समाप्त" या "मुक्ति" शब्दों का प्रयोग निर्णायक नहीं है। ऐसे अहानिकर शब्दों के प्रयोग के बावजूद, न्यायालय को ऊपर वर्णित दो परीक्षण लागू करने होंगे, अर्थात्, (1) क्या सेवक को पद या पद का अधिकार था, या (2) क्या उसे इस प्रकार के बुरे परिणामों का सामना करना पड़ा है, जिनका उल्लेख पहले किया गया है?

यदि मामला दोनों में से किसी भी परीक्षण को संतुष्ट करता है तो यह माना जाना चाहिए कि सेवक को दंडित किया गया है और उसकी सेवा की समाप्ति को सेवा से बर्खास्तगी या निष्कासन के रूप में लिया जाना चाहिए या उसके मूल पद पर वापसी को पद में कमी के रूप में माना जाना चाहिए और यदि नियमों और अनुच्छेद 311 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है, जो सरकारी सेवक को संरक्षण प्रदान करते हैं, तो सेवा की समाप्ति या पद में कमी को गलत माना जाना चाहिए और सेवक के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन माना जाना चाहिए।"

(प्रमुखता से बताया गया)

35. हम अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर केवल शब्दाडंबर को ही बढ़ा रहे हैं। उपरोक्त कथन के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों ने खंड 4 का अनुपालन नहीं किया - न तो उसका पहला भाग और न ही दूसरा भाग। 30.03.2013 का आदेश अपीलकर्ता के लिए दुष्परिणामों के साथ आता है और उसके आगे के रोजगार के लिए बाधाएँ पैदा करेगा।

36. उपरोक्त चर्चाओं के को दृष्टिगत रखते हुए, आलोच्य आदेश को अभिखंडित कर अपास्त किया जाता है है। विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 20.06.2017 के निर्णय को पुनःप्रवर्तित किया जाता है, इस सीमा तक संशोधन के साथ कि अपीलकर्ता अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों के बराबर सेवा में काल्पनिक निरंतरता सहित सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा, लेकिन पिछले वेतन को 50% तक सीमित रखा जाएगा।

इसके अलावा, लंबे समय बीत जाने के मद्देनजर, हम प्रतिवादियों को अपीलकर्ता के खिलाफ नए सिरे से कार्यवाही करने की स्वतंत्रता देने से इनकार करते हैं, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रदान किया गया था। हालांकि, यदि स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो यह प्रतिवादियों को भविष्य में अपीलकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाई करने से नहीं रोकेगा, यदि स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

37. पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करने हेतु छोड़कर अपील को उपरोक्त शर्तों पर स्वीकार किया जाता है तथा उसका निराकरण किया जाता है ।

प्रकरण का परिणाम : अपील स्वीकृत

अनुवादित किया गया- प्रचीती तराणेकर

